न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 9 / 2020 / अपील

भंवरी विश्नोई पुत्री श्री बन्शीलाला विश्नोई धर्मपत्नि श्रवणलाल गोदारा निवासी करणी कॉलोनी नागौर (राज.)

– अपीलार्थी

ब ना म

ग्राम पंचायत अलोदा पंचायत समिति दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)

– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व प्रस्ताव संख्या 1 ग्राम पंचायत अलोदा दिनांक 05.10.2018 जिसके अन्तर्गत अपीलान्ट का नामान्तकरण संख्या 1943 अस्वीकार किया गया।

उपस्थिति–

1. **श्री छीतरमल शर्मा वकील वादी की ओर सें।**
2. **रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।**

नि र्ण य **दिनांक – 21.02.2022**

1- अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम अलोदा पटवार हल्का अलोदा की कृषि भूमि खसरा नम्बर 307, 309, 320, 322, 323, 324 कुल किता 6 कुल रकबा 4.81 हैक्टर भूमि पूर्व खातेदार जी.ए.डी. लाईफ स्टाईल डवलपर्स प्राईवेट लि0 रजिस्टर्ड ऑफिस एस.सी.ओ. 2465 / 66 प्रथम मंजिल सेक्टर 22 सी चन्डीगढ जरिए–ओ यो राईज डायरेक्टर भगवान सिंह पुत्र माधोदान जाति चारण निवासी सडू छोटी तहसील सुजानगढ जिला चूरू जरिए–पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01.06.2018 उप पंजियन कार्यालय पलसाना सीकर के यहां पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 222 में पृष्ठ संख्या 192 क्रम संख्या 201803203100950 पर पंजिबद्व किया गया जिसकी प्रति अपील के साथ प्रस्तुत की जा रही है। अपीलान्ट द्वारा इस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का के यहां नामान्तकरण भरवाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के नाम से क्रयशुदा सम्पूर्ण भूमि का नामान्तकरण भर कर ग्राम पंचायत अलोदा रेस्पोडेन्ट के यहां प्रस्तुत किया गया इसको रेस्पोडेन्ट ग्राम पंचायत अलोदा द्वारा अपनी

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

बैठक दिनांक 05.10.2018 को प्रस्ताव संख्या 1 के अनुसार अपीलान्ट को बेचान किया गया है। जिसके सम्बन्ध में सदन में विचार विमर्श किया गया वार्ड पंच श्री नाथूराम, कुलदीप एवं मनिषा देवी द्वारा बताया गया कि मौके पर क्रेत्री (अपीलान्ट) का कोई कब्जा काश्त नहीं है। भूमि लम्बे अर्से से पडत चली आ रही है गांव वाही पशु चरने के काम आ रही है मौके पर विवाद होने व कब्जे के अभाव में सर्वसम्मति से विचार विमर्श कर नामान्तकरण संख्या 1943 अस्वीकार किया जाता है। जिससे अपील निम्न आधारों पर सादर प्रस्तुत है–

(क) कि ग्राम पंचायत का प्रस्ताव विधि के प्रावधानों के विपरीत है ग्राम पंचायत को यह निर्णय करने का कोई हक अधिकार नहीं है पंचों के कहने मात्र, कब्जा काश्त नही है तथा लम्बे अर्से से पडत चली आ रही है तथा गांव वाही पशु चरने के काम में आ रही है। उक्त भूमि गोचर या सरकारी भूमि नहीं है बल्कि ग्राम पंचायत को यह देखना है कि पटवारी के द्वारा जो नामान्तकरण पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया गया है उसके खातेदार के द्वारा वैध प्रलेख के जरिए–अपने हक को अन्तरित किया है या नहीं भविष्य के खातेदारी अधिकारों के सम्बन्ध में पंचायत को निर्णय करने का व अवधारणा बनाने का कोई हक अधिकार नहीं है।

(ख) कि स्वीकृत रूप से अपील में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमियां में विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा का विक्रय पत्र तस्दीक करवाया है और कोई भी खातेदार अपने हक हिस्से को अन्तरित करने का विधिक अधिकार रखता है। अन्तरण प्रलेख के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अवधारणा बनाने और उसके सम्बन्ध में प्रस्ताव लेने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं है। इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा लिया गया प्रस्ताव विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

(ग) कि ग्राम पंचायत को किसी भी खातेदारी की भूमियों के कब्जे काश्त पर निर्णय करने का अधिकार नहीं है। इसलिए भी उक्त प्रस्ताव संख्या 1 निरस्त होने योग्य है अपीलान्ट का नामान्तकरण स्वीकार किया जाने योग्य है।

(घ) कि ग्राम पंचायत अलोदा के सरपंच व पंचों द्वारा नामान्तकरण के सम्बन्ध में अनुचित लाभ प्राप्त करने की शर्त रखी गयी उक्त शर्त

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ

को अपीलान्ट द्वारा नामंजूर किये जाने पर ग्राम पंचायत अलोदा द्वारा प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 05.10.2018 को बैठक में निर्णय कर नामान्तकरण संख्या 1943 को अस्वीकार किया गया जो विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित है।

अपीलान्ट जिला नागौर की निवासीनी है तथा उसका पति कमाने खाने हेतु अन्य राज्य महाराष्ट्र में आवास निवास करता है तथा अपीलान्ट भी अपने पति के साथ आवास निवास करती है इसलिए विवादित कृषि सम्पदा पर कभी कभार आना जाना होता है अपीलान्ट ने विवादित सम्पदा के विवादित नामान्तकरण के सम्बन्ध में अपने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा नामान्तकरण की कार्यवाही हेतु रेवेन्यू अधिकारी व कर्मचारियों से नामान्तकरण की कार्यवाही कर तस्दीक हेतु ग्राम पंचायत अलोदा में प्रस्तुत कर अपने पति के साथ महाराष्ट्र को चली गई थी। ग्राम पंचायत अलोदा द्वारा नामान्तकरण संख्या 1943 को अस्वीकार कर दिया गया। ग्राम पंचायत अलोदा के प्रस्ताव संख्या दिनांक 05.10.2018 में उपरोक्त वर्णित नोट लगाकर नामान्तकरण अस्वीकार कर दिया गया जिसका ग्राम पंचायत अलोदा को किसी भी प्रकार का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। अपीलान्ट दिनांक 11.06.2020 को ग्राम अलोदा के पटवारी हल्का से नामान्तकरण की नकल प्राप्त करने पर अपीलान्ट को सर्व प्रथम नामान्तकरण संख्या 1943 को अस्वीकार किये जाने की जानकारी प्राप्त हुई तथा दिनांक 11.06.2020 को नामान्तकरण की नकल प्राप्त कर अपील अन्दर मियाद अविलम्ब प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि अपील अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्त ग्राम पंचायत के द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त प्रस्ताव सख्या 1 दिनांक 05.10.2018 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का नामांतकरण स्वीकार फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट् बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपील अपीलांट पर बहस एकपक्षीय सुनी गई।

3. अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत अलोदा द्वारा अपीलार्थी का रजिस्टर्ड विकय पत्र के नामान्तकरण को खारिज किया गया है। जो विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत है। कोई भी खातेदार अपने हक हिस्से को अन्तरित करने का विधिक अधिकार रखता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अपील प्रस्ताव संख्या 1 ग्राम पंचायत अलोदा दिनांक 05.10.2018 नामांतरण संख्या 1943 को खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि पुनः विधिवत जांच करते हुए नामान्तरण दर्ज कर तस्दीक करने की कार्यवाही कर न्यायालय को पालना सें अवगत करावे। पत्रावली बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 21.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ